



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 दिसंबर 2024

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(मार्च 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, मार्च 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025)					
(₹ करोड़)					
नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
01 जनवरी 2025	02 जनवरी 2025	12,000	8,000	8,000	28,000
08 जनवरी 2025	09 जनवरी 2025	12,000	8,000	8,000	28,000
15 जनवरी 2025	16 जनवरी 2025	12,000	8,000	8,000	28,000
22 जनवरी 2025	23 जनवरी 2025	12,000	8,000	8,000	28,000
29 जनवरी 2025	30 जनवरी 2025	12,000	8,000	8,000	28,000
05 फरवरी 2025	06 फरवरी 2025	12,000	8,000	8,000	28,000
12 फरवरी 2025	13 फरवरी 2025	12,000	8,000	8,000	28,000
20 फरवरी 2025	21 फरवरी 2025	14,000	12,000	7,000	33,000
27 फरवरी 2025	28 फरवरी 2025	14,000	12,000	7,000	33,000
05 मार्च 2025	06 मार्च 2025	14,000	12,000	7,000	33,000
12 मार्च 2025	13 मार्च 2025	14,000	12,000	7,000	33,000
19 मार्च 2025	20 मार्च 2025	14,000	12,000	7,000	33,000
26 मार्च 2025	27 मार्च 2025	14,000	12,000	7,000	33,000
कुल		1,68,000	1,28,000	98,000	3,94,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ.सं.4\(2\)-डब्ल्यू एंड एम/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1801

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक